प्रकरण संख्या 34/2023 नेणा व अन्य बनाम भैरूलाल व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.10.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता किसना उर्फ किशन नाई व प्रतिवादीगण के पिता नाराण नाई दोनों सहोदर भाई होकर उदा जी के संताने थे। हमारे परिवार में अमरचन्द नाई नाम का एक और व्यक्ति था, जो निसंतान फोत होकर उसके वारिस किसना जी व नाराण जी ही थे इसलिए अमरचन्द के खाते की आराजियात भी किसना व नाराण के नाम ही विरासत से अंकित होनी चाहिए थी, किन्तु इसके विपरीत उदा जी के नाम दर्ज आराजी नंबर 3019, 3396 से 3400, 3426 से 3435 कुल किता 16 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा भूमि अकेले नाराण के नाम दर्ज हो गयी, जो विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम अंकित है। अमरचन्द के नाम दर्ज आराजी नंबर 1869 से 1877 किसना के नाम दर्ज कर दी गयी जो विरासत से इस समय वादीगण के नाम अंकित है। इसी प्रकार दो कुंओं पर अलग–अलग खाते होते हुए भी प्रत्येक कुंए पर दोनों भाई किसना व नाराण का आधी–आधी जमीन पर उनके जीवनकाल तक तथा उनकी मृत्यु होने के बाद पक्षकारान का कब्जा चला आ रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है :–<br><br>(क) वादीगण के कब्जे काश्त में आराजियात (i) अपने खाते की जमीन में से आराजी नंबर 1869, 1871, 1872, 1873, 1874 कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा (ii) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज भूमियों में से आराजी नंबर 3399, 3400, 3427, 3434, 3435 कुल किता 5 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा<br><br>(ख) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के कब्जे की आराजियात (i) वादीगण के नाम दर्ज भूमियों में से आराजी नंबर 1875, 1876, 1877 कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा (ii) उनके अपने खाते में दर्ज जमीन में से आराजी नंबर 3426, 3430, 3431, 3432, 3433, 3398, 3399 कुल किता 7 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा<br><br>(ग) आराजी नंबर 1870 आ.च[illegible]दीगण के नाम दर्ज है | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:49 IST
Reason: SelfAttested

तथा खसरा नंबर 3396, 3428, 3429, 3019 ये चारों नंबर जो प्रतिवादीगण के नाम अंकित हैं मीन जुमला आराजी किता 5 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 दोनों के शामलाती हिस्सा हक से संयुक्त काश्त आधिपत्य में हैं।

उक्त बहस बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने–अपने कब्जे मुन्द्रजा कलम संख्या 3 के अनुसार भूमियों का अपने जीवनकाल से काश्त कर उपयोग–उपभोग करते आये हैं। वादीगण का उक्त आराजियात में शामलाती कब्जा 12 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। अतः उक्त वाद फिकरा (क), (ख), (ग) अनुसार राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र खातेदारी दर्ज किया जाकर विभाजन किया जावे।

प्रतिवादीगण ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उदा जी की आराजियात विरासत से नाराण के नाम दर्ज हुई है और नाराण के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हुई है तथा कब्जा भी अपने पिता के जीवनकाल से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का ही चला आ रहा है। वाद पत्र में अंकित आराजियात जो अमरचन्द के नाम दर्ज थी किसना के गोद रहने से अमरचन्द के फोत होने के बाद विरासत से किसना के नाम दर्ज हुई जो विरासत से इस समय प्रतिवादीगण के नाम अंकित होकर उनका कब्जा चला आ रहा है। हम प्रतिवादीगण का इन आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है। फिकरा (क) में अंकित आराजियात हम प्रतिवादीगण के स्वतंत्र खातेदारी, कब्जे व उपभोग की है, फिकरा (ख) में अंकित आराजियात वादीगण के स्वतंत्र खातेदारी उपयोग–उपभोग की है। फिकरा (क), (ख), (ग) के अनुसार वादीगण बंटवारा कराने तथा खातेदारी घोषणा के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच कभी कोई आपसी पांती बंटवारा नहीं हुआ है, न ही कोई इकरार हुआ है।

जवाबदावे के विशेष कथन में पक्षकारान का सजरा अंकित करते हुए निवेदन किया कि अमरचन्द के पिता का नाम नोला उर्फ नवला था, जो लाऔलाद फोत हो जाने से अमरचन्द के जीवनकाल में किशना पिता उदा अमरचन्द के गोद जाने से अमरचन्द की जायदाद विरासत से किशना जी को प्राप्त हुई तथा किशना जी की मृत्यु के बाद वाद पत्र के (ख) में वर्णित आराजियात विरासत से वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:49 IST
Reason: SelfAttested

नाम अंकित हुई तथा (क) में वर्णित आराजियात उदा की मृत्यु के बाद विरासत से नाराण जी के नाम दर्ज हुई तथा नाराण जी की मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादीगण के नाम अंकित हुई। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 28.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.04.2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने किशना के गोद जाने के संबंध में कोई शहादत नहीं होते हुए भी केवल कयासी आधार पर गोद जाना माना है, जबकि रेकार्ड पर इस बात की कोई शहादत नहीं है कि किशना को उदा व उसकी पत्नी ने अमरचन्द व उसकी पत्नी के यहां गोद रखा हो तथा अमरचन्द व उसकी पत्नी ने किशना को गोद लिया हो। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि किशना व नाराण उदा जी की संताने हैं तथा दोनों का उदा जी की सम्पत्ति में बराबर हिस्सा है। वैसे भी गोद को घोषित करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है, जैसाकि आर.आर.डी. 1985 पेज 99 पर तय किया गया है। अपीलान्ट/वादीगण का विवादित आराजियात की आधी भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा उनके द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गयी थी, जो राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार की जाकर दिनांक 27.12.2001 को अपीलान्ट/वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है तथा उसमें 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण को कोई हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन नहीं कर वाद खारिज किया है, जो आदेश 20 नियम 5 का स्पष्ट उलंघ[illegible]तः अपील स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:49 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (30) 2023 Page 567, AIR 2011 (SC) Page 1340, RBJ (17) 2010 Page 174, RBJ (18) 2011 Page 250, RBJ (18) 2011 Page 163, DNJ 2015 (SC) Page 169, RRT 2006 (2) Page 786, RBJ (15) 2008 Page 83, RRT 2002 (2) Page 779, RBJ (5) 1998 Page 563 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि किशना जी अमरचन्द के गोद गये तथा विरासत से अमरचन्द की भूमियां किशना जी के नाम दर्ज हुई, जिसमें हम रेस्पोन्डेन्टगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसी प्रकार उदा की भूमियां विरासत से नाराण जी के नाम दर्ज हुई, जो नाराण जी के बाद विरासत से हम रेस्पोन्डेन्टगण के नाम दर्ज हुई, जिसमें अपीलान्टगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही उनका कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2003 (2) Page 739, RRT 2017 (2) Page 1139, RRT 2024 (2) Page 939 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 तथा संवत् 2052 से 2055 में वाद पत्र की कलम संख्या 3 (क) में वर्णित आराजी नंबर 3019, 3396 से 3400, 3426 से 3435 कुल किता 16 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खातेदारी में दर्ज है तथा भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान संवत् 2028 से 2047 में भी रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम अंकित है। जबकि वाद पत्र की कलम संख्या 3 (ख) में वर्णित आराजी नंबर 1869 से 1877 कुल किता 9 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलान्ट/वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस संबंध में अपीलान्ट वादीगण का कथन है कि किशना जी अमरचन्द के कभी गोद नहीं गये तथा उक्त भूमियां उदा जी के खातेदारी की होकर उसने दोनों पुत्र किशना व नाराण जी का 1/2, 1/2 हिस्सा है। उनका यह भी कथन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:49 IST
Reason: SelfAttested

है कि पक्षकारों के बीच दिनांक 25.06.1992 को आपसी समझौता बंटवारा हुआ है, जिसके अनुसार वाद पत्र की कलम संख्या 4 के फिकरा (क) वर्णित भूमियां वादीगण की, फिकरा (ख) वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की एवं फिकरा (ग) वर्णित भूमियां दोनों की शामलाती रहेंगी।

हमने उक्त समझौता बंटवारे का अवलोकन किया, जो प्रदर्श 1ए एवं 2ए हैं, किन्तु उक्त समझौता बंटवारे पर सिर्फ अपीलान्ट नेणा, अर्जुन एवं सवलाल के हस्ताक्षर हैं, प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त समझौता बंटवारे से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 4 बाध्य नहीं हैं, क्योंकि उक्त समझौता बंटवारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा उस पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अथवा उनके पिता नाराण जी के न तो हस्ताक्षर हैं, न ही उनकी कोई अंगुष्ठ निशानी है। जबकि दूसरी ओर प्रदर्श डी.1 अनुसार किशना का अमरचन्द के गोद जाना जाहिर होता है तथा इसी कारण अमरचन्द के खाते की आराजियात किशना के नाम दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार विवेचन नहीं किया है, किन्तु वादीगण द्वारा उठाये गये प्रत्येक बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होती हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 275/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:49 IST
Reason: SelfAttested